UPRP010034782026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं० 6, रामपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण(जमानत) प्रार्थना पत्र सं०–24/2026
रजि०सं०–800/2026

हर्ष अग्रवाल आयु लगभग 32 साल पुत्र सुभाष चन्द्र अग्रवाल, निवासी मौहल्ला राजद्वारा, थाना कोतवाली, जिला रामपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

–बनाम–

उ०प्र०सरकार.....**विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या 215/2025
धारा–8(C)/21(C)/26(d) एन०डी०पी०एस०एक्ट
318(4), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना कोतवाली, जिला रामपुर।

18–06–2026

प्राथी/अभियुक्त हर्ष अग्रवाल की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 215/2025, अर्न्तगत धारा–8(C)/21(C)/26 (d) एन०डी०पी०एस० एक्ट व धारा 318 (4), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता , थाना गंज, जिला रामपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले में जिला कारागार में निरूद्व है। **अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण दिनांक 07.03.2026 को निरस्त किया जा चुका है।**

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक व समय भिन्न–भिन्न, घटनास्थल फर्म लता फार्मास्यूटिकल्स अर्न्तगत थाना कोतवाली जिला रामपुर में औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार द्वारा अभियुक्त हर्ष अग्रवाल के द्वारा औषधि लाइसेंस का दुरुपयोग करने और कोडीन युक्त औषधि कफ सीरप को खुले बाजार में अवैध तरीके से गैर चिकित्सीय प्रयोजन हेतु बेंचकर धोखाधड़ी कर अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित किया जाना पाया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन झूठा फंसाया गया है।अभियुक्त उक्त प्रकरण में जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण दिनांक 07.03.2026 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी ने मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित कोई भी अपराध नहीं किया है। प्रार्थी पूर्णत निर्दोष है। अभियुक्त पर दर्शाये गये समस्त आरोप निराधार , तथ्यहीन एवं सच्चाई से परे हैं। वादी मुकदमा मुकेश कुमार औषधि निरीक्षक, रामपुर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 318(4)भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। अभियुक्त के पास कथित दिनांक को दवाईयों को खरीदने एवं बेचने का वैध लाइसेंस था तथा प्रार्थी दवाईयों को कम्पनी से खरीदकर उसका भण्डारण कर उसे दवा रिटेलरों को बेंच सकते

Digitally signed by PINKU KUMAR
Date: 2026.06.18 17:28:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थे। अभियुक्त के पास दवा बेचने व खरीदने तथा कोडीनयुक्त दवा /सीरप को भी खरीदने व बेचने का लाइसेंस था। अभियुक्त को जो भी नोटिस औषधि विभाग से प्राप्त हुये, उसका जवाब प्रार्थी ने समय सीमा के अन्दर प्रेषित किया है, जो वादी ने जानबूझकर विवेचक को उपलब्ध नहीं कराये। अभियुक्त के विरुद्ध ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट का ही केस बनता है तथा एन०डी०पी०एस०एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की किसी भी धारा का कोई केस अभियुक्त के विरुद्ध नहीं बनता है। अभियुक्त के पास से कोई भी कोडीनयुक्त सीरप की दवाई या सीरन बरामद नहीं हुआ हैं भारत का राजपत्र नम्बर एस ०ओ० 826(सी०ई०) दिनांकित 14.11.1985 के अनुसार धारा 2(Xi) एन० डी० पी० एस० एस० एक्ट के नोटिफिकेशन के क्लास 35 के अनुसार कोडीन(Scientific name methyl/morphine) को एक तैयार औषधि मानी है, जिसमें एक से ज्यादा कम्पाउण्ड हैं तथा उसमें 100 मिलीग्राम से ज्यादा दवा प्रयोग हेतु नहीं है। नोटिफिकेशन दिनांकित 14.11.1985 के पैरा संख्या 35 से यह स्पष्ट है कि 100 मिलीग्राम कोडीन की दवा की शीशी में 2.5 प्रतिशत कोडीन ही अधिकतम होगी तथा वह दवा की श्रेणी में आयेगी। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा बेची गयी **CODETUSS TR COUGH SYRUP** एन०डी०पी०एस० की श्रेणी में नहीं आयेगा। अभियुक्त ने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है तथा स्वयं को फायदा पहुंचाने की नीयत से किसी को धोखा नहीं दिया है, इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध धारा 318(3)भारतीय न्याय संहिता का प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा18C, 21C एन०डी०पी०एस०एक्ट का भी कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्त के पास नारकोटिक्स दवाईयां बेचने का लाइसेंस नहीं था और न ही अभियुक्त ने नारकोटिक्स के लाइसेंस की शर्तों का दुरुपयोग किया है, इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध धारा 26D का भी कोई अपराध नहीं बनता है। विवेचक विवेचना में इस बात को साबित नहीं कर पाये हैं कि किस प्रकार धारा18C, 21C, 26D एन०डी०पी०एस०एक्ट का अपराध अभियुक्त के विरुद्ध बनता है। अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है।अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लंबित नहीं है।अतः उक्त आधारो पर अभियुक्त ने जमानत स्वीकार किये जाने की याचना की।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या 8403/2021 with Cr.M.W.P संख्या 8370/2021 विभोर राना बनाम भारत संघ निर्णीत दिनांक दिसम्बर 24, 2021 प्रस्तुत की गयी है।**

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कहा गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त हर्ष अग्रवाल पर औषधि लाइसेंस का दुरुपयोग करने और कोडीन युक्त औषधि कफ सीरप को खुले बाजार में अवैध तरीके से गैर चिकित्सीय प्रयोजन हेतु बेंचकर धोखाधड़ी कर अनुचित लाभ कमाने का आरोप है। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्त हर्ष अग्रवाल की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है ।मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये हैं, वह साक्ष्य का विषय है।अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। अन्य अभियुक्त उमर खान उर्फ दानिश की जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 07–05–2026 को निरस्त की जा चुकी है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त हर्ष अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 24/2026, मु०अ०सं० 215/2025, अर्न्तगत धारा–8(C)/21(C)/26(d) एन०डी०पी० एस०एक्ट व 318(4), 336(3), 338, 340(2)भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली, जिला रामपुर, **निरस्त** किया जाता है।

(पिंकू कुमार)
विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 6, रामपुर।
J.O.Code–UP2659

दिनांकः 18–06–2026